UPRN010035772026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

पीठासीन अधिकारी– (श्री प्रभा नाथ त्रिपाठी**), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06288**

जमानत प्रार्थनापत्र सं०.1397/2026

1–विष्णु प्रताप सिंह, उम्र– करीब 47 वर्ष, पुत्र–जयराम सिंह,

2–उपेन्द्र सिंह उर्फ बीटू, उम्र–43 वर्ष, पुत्र– स्व० गुलाब सिंह उर्फ गुलाल सिंह,

निवासीगण– ग्राम–रायपुर, थाना–रसूलाबाद, कानपुर देहात

....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० राज्य

....अभियोजन

मु०अपराध संख्या– 97/2023

धारा–452, 323, 504, 506, 34, 324 भारतीय दण्ड संहिता व

धारा–3(2)(VA) एस०सी०/एस०टी०एक्ट

थाना –रसूलाबाद, कानपुर देहात।

दिनांक–15.07.2026

01– यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण **विष्णु प्रताप सिंह व उपेन्द्र सिंह उर्फ बीटू** द्वारा मु० अपराध सं०–97/2023, धारा–452, 323, 504, 506, 34, 324 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3(2)(VA) एस०सी०/एस०टी०एक्ट थाना –रसूलाबाद, कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

02– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा विद्यावती द्वारा थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस बावत पंजीकृत करायी कि *"घटना दिनांक–13.03.2023 समय करीब 8 बजे की है। ग्राम के हरगोविन्द सिंह का खेत बटाई पर हम लिए हैं, जिसमें गेहूं खडे में गड्ढे खोद रहे थे, तो मैंने जाकर रोका तो वहां पर मौजूद अनिल प्रताप सिंह पुत्र–जयराम सिह, उपेन्द्र सिंह उर्फ बीटू पुत्र–गुलाब सिंह, शिवम पुत्र–अलोक सिंह, बीरू उर्फ वीर सिंह पुत्र–केशव सिंह, पुत्तन सिंह पुत्र–जयराम सिंह, कप्तान सिंह पुत्र–सुल्तान सिंह तथा 3 अन्य लोग, प्रधान मुझे भद्दी–2 गालियां देते हुए कहा की साली तुझे और किसी का खेत नहीं मिलता है, अब तुम गेहूं बचा लो। हम कुछ कहती कि उक्त लोग मारने–पीटने पर आमादा हो गये, जिस पर मैं भाग कर अपने घर में आ गयी, तो उक्त लोग मेरे घर में घुस कर मारने–पीटने लगे, तो मैं चिल्लाई तो गांव के जगदीश पुत्र–रामेश्वर व शिरोत्तम पुत्र–बलराम सिंह, मीरा देवी पत्नी–भैयालाल आदि लोगों ने*

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.07.15 16:11:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रोका, तो उनको भी मारने–पीटने लगे और जिससे गम्भीर चोटें आई हैं तथा थानाहाजा को सूचना दी तो उक्त लोगों ने घर से निकल कर कहा कि साली अबकी बार खेत की तरफ आई तो हम तुम्हें व तुम्हारे परिवार व मदद करने वाले को भी जान से मार देंगे। उक्त लोगों से प्रार्थिनी व उसका परिवार भयभीत व परेशान है। उक्त कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। "

03– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र के माध्यम से इस आशय का कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। मात्र उनको हैरान व परेशान करने की गरज से वादी मुकदमा के द्वारा स्वयं के द्वारा घटित घटना से अपने आपको बचाने के लिए झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाई गयी है, जिसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वादी मुकदमा के द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में ये बिल्कुल नहीं बतलाया गया कि कौन–कौन क्या हथियार लिये था तथा उसके शरीर में कहां पर चोंट आयी थी तथा कितनी लाठी मारी थी, जिससे भी सम्पूर्ण घटना अपने आप में असत्य प्रतीत होती है। सत्यता तो ये है कि वादिनी मुकदमा के पुत्र विवेक उर्फ भोलू पुत्र–दयाराम व सहयोगियों के द्वारा अभियुक्त अनिल प्रताप सिंह के साथ घटना कारित की थी, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा मु०अ०सं०–88/25 दिनांक–13/03/2023 ई० को अंकित करवायी थी, जिसमें अनिल प्रताप सिंह व अन्य लोगों को चोंटें भी आयी थी, जिससे बचने के लिए तथा क्रास केस बनवाने के लिए दिनांक–13/03/2023 की फर्जी घटना दिखाते हुए दिनांक–23/03/2023 ई० को खूब सोच समझ कर कानूनी राय लेकर फर्जी रिपोर्ट लिखवयी है। वादी मुकदमा के द्वारा घटना के काफी विलम्ब से खूब सोच–समझकर कर कानूनी राय लेकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवायी गयी है। जबकि थाने की दूरी मात्र 06 किमी० है तथा वादहू मुकदमा ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का कोई कारण भी नहीं दर्शाया है, जिससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा ने बिना किसी घटना के असत्य कथनों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवायी है। अभियुक्तगण ने कोई भी अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण न ही अपराधी व्यक्ति है और न ही वह अपराध करने में विश्वास ही करते है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है तथा सह अभियुक्तगण की जमानतें श्रीमान जी द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। अभियुक्तगण जमानत पाने के उपरांत हमेशा न्यायालय के आदेशों का पालन करेगे तथा किसी भी प्रकार से साक्षियों इत्यादि को भी नहीं घमकायेंगे। अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है।

04– राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05– वादिनी मुकदमा पूर्व नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित थी तथा उसे उक्त जमानत प्रार्थना पत्र की नकले भी प्रदान की जा चुकी है, किन्तु आज वादिनी मुकदमा मौखिक अथवा लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं है। वादिनी पक्ष की ओर से आज कोई स्थगन/मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत भी नहीं किया गया है।

06– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय

अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

07– प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को पूर्व में अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था तथा अभियोजन पक्ष द्वारा इस आशय का कोई संगत प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित अपराध सात वर्ष तक की सजा के दण्ड से दण्डनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & ANR. (2022)10 SCC 51 तथा Mahdoom Bava Vs. Central Bureau of Investigation (Order Dated-20-03-2023 Passed in SLP (Crl.) No-376-2023)** के प्रकाश में तथा मामले के तथ्य परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्तगण की भूमिका के दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत प्रकट किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **विष्णु प्रताप सिंह व उपेन्द्र सिंह उर्फ बीटू** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 50,000/– 50,000/– (पचास–पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाये–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण वाद के निस्तारण में सहयोग करेंगे।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साक्ष्य के स्तर पर नियत तिथियों में साक्षियों की उपस्थिति में कोई स्थगन प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय में स्वयं आरोप एवं धारा–313 दं०प्र०सं० के कथन अभिलिखित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे और बिना पर्याप्त आधार के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा–299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण को प्रभावित करने हेतु साक्षीगण को किसी प्रकार का प्रभाव अथवा दबाव नहीं डालेंगे और न ही साक्षीगण को प्रभावित करेंगे।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी/एस०टी०एक्ट)
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।